राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प. 19(16) गृह–10/2006 जयपुर, दिनांकः– **11.07.2019**

आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2006 के द्वारा राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित फौजदारी प्रकरणों को प्रत्याहत (Withdraw) करने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति ऐसे प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु अनुशंषा कर सकती है, जो बैठक आयोजित किये जाने की दिनांक से दो वर्ष पूर्व से लम्बित प्रकरण हो, उक्त प्रावधान में राज्य सरकार शिथिलता प्रदान करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित प्रकरण, जो कर चोरी से संबंधित नहीं हैं एवं ऐसे प्रकरणों में आरोप–पत्र दिनांक 30 जून 2018 तक न्यायालय में पेश हो चुका है, को न्यायालय से वापस लिये जावें एवं की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करावें।

आज्ञा से,

07/19

(एस.एन.व्यास)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर के पत्र JEN/XV/47/85/ 1096 दिनांक 12-6-06 के क्रम में।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ–4(173)/RSLSA/SS/NLA-I/2019/5060 दिनांक 8.3. 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में।
6. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
7. जिला मजिस्ट्रेट ———————— राजस्थान।
8. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
9. जिला पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस उपायुक्त———— राजस्थान।
10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ————— राजस्थान।
11. उप निदेशक अभियोजन, ———————— राजस्थान।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, ———————— राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

07/19

(एस.एन.व्यास)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि :–समस्त सहायक निदेशक अभियोजन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पालना में प्रकरण वापस लिया जाकर लिये गये प्रकरणों की संख्या की सूचना इस विभाग को आवश्यक रुप से प्रेषित करे।

07/19

(एस.एन.व्यास)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

Scanned by CamScanner